2. तमन्ना हाशमी पिता न मालूम

निवासी भिखनपुर, थाना-अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर।

3. संतोष कुमार पिता स्व0 किशुनदेव ओझा

निवासी ग्राम- महमदपुर पताही, थाना-सदर,

जिला-मुजफ्फरपुर।

4. विनोद कुमार पिता न मालूम

निवासी चिट भगवतीपुर, थाना-अहियापुर, जिला-

मुजफ्फरपुर।

अन्य गवाह का नाम अलग से देंगे।

कै फि य त :-

मुख्तसर हाल नालिश का यह है कि परिवादी अपने घर पर 11 एवं 12 जनवरी 2023 को बैठे हुए थे, तो न्यूज बिहार झारखंड एवं अन्य चैनल पर एक कार्यक्रम के दौड़ान अभियुक्त का बयान सुने एवं विभिन्न समाचार पत्रों में छपे खबर पढ़े जिसमें अभियुक्त ने बयान दिया था कि देश में जाति से समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ा है, इसमें मनुस्मृति जो स्वामी तुलसी दास रचित रामचरित्र मानस एवं राष्टीय स्वयं सेवक संघ के विचारण माधव सदाशिव गोलवलकर लिखित बंच ऑफ थाट्स ने 85% लोगो को सदियों तक

पीछे रखने का काम किया है। ये ग्राम नफरत फैलाते है,ये बातें अभि.

नालंदा खुला विश्वविद्यालय के 15 वें दीक्षा समारोह के दौरान कही उन्.

यह भी कहा कि रामचरित्र मानस में लिखा गया है कि अधम जाति में विद्या

पाए सपूं क्या अहिदूध पिलाए इसका अर्थ होता है कि नीच जाति के लोग

शिक्षा ग्रहण कर जहरीले हो जाते है जैसे दुध पीकर सांप हो जाता है,इस तरह

के बयान अभियुक्त के द्वारा एक सोची समझी राजनीति के तहत करोड़ो हिन्दुओ

के भावना को ठेस पहूँचाने के साथ-साथ जातिय और राजनीति विद्वेश फैलाने

के उद्देश्य से यह व्यान दी गयी है। परिवादी इस व्यान को पढ़,सुनकर काफी

मरमाहत हुए और उनकी भावना को ठेस पहूँचा है। एवींस एक्ट की धारा 65

(ए) एवं (बी) के तहत साक्ष्य परिवाद पत्र के साथ संलग्न हैं।

अत: श्रीमान से प्रार्थना है कि परिवाद पत्र को स्वीकार करते हुए कानूनी कारवाई करने की कृपा प्रदान करें।

सुधीर कुमार ओझा
13/1/23

अर्जी फिदवी

WWW.LIVELAW.IN